स्पीड पोस्ट द्वारा

फा.सं.जे-13011/6/2015-जे.आर.
भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
(न्याय विभाग)

जैसलमेर हाउस, 26, मानसिंह रोड़,
नई दिल्ली-110011 दिनांक: 15 दिसम्बर, 2015

आदेश

विषय:- **न्यायपालिका हेतु बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना - वित्त पोषण पैटर्न में संशोधन।**

संदर्भ संख्या: न्याय विभाग, विधि व न्याय मंत्रालय दिनांक 15 जुलाई, 2011 का आदेश संख्या जे-12021/6/2011-जेआर।

न्याय विभाग न्यायपालिका हेतु बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन करता रहा है। योजना के वर्तमान स्वरूप में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के भवनों सहित न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों के आवासीय परिसरों का निर्माण शामिल है। देश में बेहतर न्याय प्रदायगी मुहैया कराने की दृष्टि से योजना का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों के भौतिक बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ-साथ न्यायिक अधिकारियों के लिए आवास की व्यवस्था पर ध्यान देना है।

2. योजना के अधीन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच पिछले संशोधन उत्तर-पूर्वी राज्यों को छोड़कर वित्त बंटवारा पैटर्न वर्ष 2011 में अन्य राज्यों के संबंध में 75:25 था और उत्तर-पूर्वी राज्यों के संबंध में 90:10(90 केंद्र का अंश) था। संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता बिना निधि बंटवारा आवश्यकता के स्वीकृत की जाती है।

3. न्याय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 28-10-2015 के अ.शा. पत्र संख्या- 32/पीएसओ/एफ़एस/2015 के अनुसार वर्ष 2015-16 से केंद्र और राज्यों के बीच निधि बंटवारा पैटर्न को, 8 उत्तर-पूर्व राज्यों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और सिक्किम और तीन हिमालयी राज्य, जम्मू और कश्मीर, हिमांचल प्रदेश और उत्तराखण्ड जहां यह 90:10 के अनुपात में लागू होगा, को छोड़कर, 60:40 के अनुपात में संशोधित कर दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्रों को बिना निधि बंटवारे के केंद्रीय सहायता जारी रहेगी।

4. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता, वित्त वर्ष के दौरान योजना के तहत उपलब्ध बजटीय प्रावधानों तक सीमित रहेगी। यद्यपि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने संसाधनों में अपनी आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धन राशि व्यय करने के लिए स्वतंत्र है। यह केंद्रीय प्रायोजित योजना प्रतिपूर्ति योजना नहीं है।

ह०

(सी.के. रीजोनिया)
उप सचिव, भारत सरकार
फोन/फैक्स सं. 23072146
ई-मेल: ckreejonia@nic.in

सेवा में,

(1) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।
(2) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधि/गृह सचिव।

(3) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वित्त सचिव।

(4) सभी उच्च न्यायालयों के महानिबंधक।

(5) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के रेजीडेंट उपायुक्त।

प्रति प्रेषित:

(1) सचिव, न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय।

(2) सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

(3) एएस & एफ़ए, विधि व न्याय मंत्रालय।

ह०

(सी.के. रीजोनिया)

उप सचिव, भारत सरकार